

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन , ए-ब्लॉक , ज्योति नगर जनपथ , जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 , , फ़ैक्स 0141-2742309 , ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-2410/2013)/अलेसे-आ/3361

दिनांक:- 16/5/24

कार्यालय आदेश

श्रीमती रेखा कुमावत (लिंक नं. 10852) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ कार्यालय उपकोषाधिकारी, बहरोड़ (कोटपुतली) को उनके प्रार्थना पत्र उपकोषाधिकारी, बहरोड़ द्वारा अग्रेषित तथा अवकाश प्रार्थना-पत्रों को कोषाधिकारी, बहरोड़ द्वारा सत्यापन के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के भाग-ए के नियम-104 के अंतर्गत निम्नानुसार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

26.04.2023 से 18.05.2023 तक 23 दिवस (उपार्जित अवकाश)

19.05.2023 से 14.11.2023 तक 180 दिवस (प्रसूति अवकाश)

15.11.2023 से 08.12.2023 तक 24 दिवस (उपार्जित अवकाश)

(कुल 227 दिवस)

उक्त कुल 227 दिवस का उपार्जित अवकाश एवं प्रसूति अवकाश का इन्द्राज श्रीमती रेखा कुमावत की सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-2410/2013)/अलेसे-आ/3361

दिनांक:- 16/5/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उपकोषाधिकारी, बहरोड़ (कोटपुतली)
2. श्रीमती रेखा कुमावत (लिंक नं. 10852) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ कार्यालय उपकोषाधिकारी, बहरोड़ (कोटपुतली)।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक एसीपी को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)